(21)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, संभाग

R.5093-दो/15 **रीवा (म.प्र.)**

1. हीरालाल पिता श्री रामऔतार बैस
2. नारायण पिता श्री रामऔतार बैस
3. मुन्नीलाल पिता श्री रामऔतार बैस सभी निवासी ग्राम घोंघरा, तह. चितरंगी, जिला – सिंगरौली (म.प्र.) .... निगरानीकर्तागण

<u>बनाम</u>

1. रामजनक तनय श्री बबउ बैसवार
2. बाबूलाल पिता रामजनक बैसबार
3. विश्वनाथ पिता रामबरन बैसवार, सभी निवासी ग्राम घोंघरा, तह. चितरंगी, जिला – सिंगरौली (म.प्र.) .... गैरनिगरानीकर्तागण

श्री विवेक शर्मा एड के द्वारा आज दिनांक 6-10-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 07.09.15 जो राजस्व प्रकरण क्र. 105/अपील/07–08 को माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा द्वारा पारित किया गया।

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959</u>

<u>संक्षिप्त विवरण</u>

निगरानीकर्तागण के द्वारा म0प्र0भू0रा0संहिता की धारा 89 के तहत ग्राम घोघरा तह0 चितरंगी जिला सिंगरौली की आराजी नं0 312/0.68, 304/0.51, 216/1.49 में हुई त्रुटि सुधार हेतु आवेदन तहसीलदार न्यायालय तहसील चितरंगी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय चितरंगी द्वारा रा0नि0मं0 से प्रतिवेदन मंगाया गया, रा0नि0मं0 चितरंगी द्वारा पुराने नक्शे के आधार पर रिपोर्ट नही दी गई जिस पर रा0नि0मं0 कोरावल से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5093–दो/2015 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–9–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 105/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 07–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के द्वारा आवेदक के आवेदन पर राजस्व निरीक्षक से दो बार जांच कराई गबई है। राजस्व निरीक्षक के द्वारा दो भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रतिवेदन पेश किये गये हैं। विचारण न्यायालय द्वारा पृथक–पृथक दो विरोधाभाषक प्रतिवेदन पर हितबद्ध पक्षकारों न तो साक्ष्य का अवसर दिया न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक के द्वारा पहले जो जांच प्रतिवेदन पेश किया गया था, उसे किस कारण से अमान्य किया तथा पश्चातवर्ती प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव को किन कारणों से मान्य किया उसका भी कोई कारण नहीं दिये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। दोनों अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का	

कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य